

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8474/2026
CNR: RJHC010609112026
URN: CRLMB / 18397U / 2026

Gunwant Kumar S/o Shri Ramesh Kumar, Aged About 19 Years,
R/o Bhilo Ka Vas, Gudabalotan, P.S. Aahor, District Jalor Raj. (At
Present Lodged In Sub Jial Jalor)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Mangilal S/o Rajmal Ji, R/o Badgoan, Shevganj,
(Erinpura), Sirohi Raj.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Jay Prakash Bhardwaj
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Shrijeet Singh Solanki

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/07/2026

01. इस मामले में तामील पूर्ण हो चुकी है।
02. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना शिवगंज (एरिन्पुरा), जिला सिरोही में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 137(2) व 87 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 16 व 17 पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
03. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
04. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त व पीड़िता एक-दूसरों के दोस्त हैं, कोई गलत काम प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी-अभियुक्त पीड़िता को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया था। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 15.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के

विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पीड़िता ने अपने 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में तीन माह से प्रार्थी-अभियुक्त के साथ रिलेशनशिप में होना, शादी के लिये घर से मंगलसूत्र, चार फीणी नाक की, टूटी-फूटी चांदी व दो बिछिया लेकर जाना, स्वयं के साथ कोई गलत काम नहीं होना तथा अपनी मर्जी से प्रार्थी-अभियुक्त के साथ जाना बताया है।

07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **गुणवंत कुमार पुत्र रमेश कुमार** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J